

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275228
SG-DL-E-05082026-275228असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 145
No. 215]	DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948	[N. C. T. D. No. 145

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

फा. सं. 223/एसडीएम-II(मुख्या0)/भूमि/2025-भाग(2)/(ई-312678)/7216-25.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति या पदनाम से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत जारी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं, आदेशों या निर्देशों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2506(ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 14 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और जब तक वे उक्त पदों पर बने रहते हैं या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं, अर्थात्:—

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समस्त जिलों के उपायुक्त, जो संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट भी होंगे;
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिलों के समस्त अपर कलेक्टर, जो संबंधित जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट भी होंगे तथा उक्त संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे; और

- (iii) संबंधित तहसीलों, राजस्व क्षेत्रों तथा राजस्व विभाग के मुख्यालयों के समस्त राजस्व सहायक, तहसीलदार और समेकन अधिकारी, जिनके अधिकार क्षेत्र में उनके संबंधित जिले, तहसील, राजस्व क्षेत्र या मुख्यालय आते हैं, जैसा भी मामला हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नितिन पाणिग्राही, उप सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2026

F. No. 223/SDM-II(HQ)/Land/2025-Part(2)/(E-312678)/7216-25.—In supersession of all previous notifications, orders or instructions issued under the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to the appointment or designation of District Magistrates, Additional District Magistrates and Executive Magistrates in the National Capital Territory of Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, and in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2506(E) dated the 28th June, 2024, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers as Executive Magistrates in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of assumption of charge and so long as they hold the said posts or until further orders, whichever is earlier, namely:—

- (i) All the Deputy Commissioners of the Districts of the National Capital Territory of Delhi, who shall also be the District Magistrates of their respective Districts;
- (ii) All the Additional Collectors of the Districts of the National Capital Territory of Delhi, who shall also be the Additional District Magistrates of their respective Districts and shall exercise all the powers of a District Magistrate under the said Sanhita or under any other law for the time being in force; and
- (iii) All the Revenue Assistants, Tehsildars and Consolidation Officers of the respective Tehsils, Revenue Areas and Headquarters of the Revenue Department, having jurisdiction over their respective Districts, Tehsils, Revenue Areas or Headquarters, as the case may be.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

NITIN PANIGRAHI, Dy. Secy. (Home)